



भूलेख - खतौनी
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

Hindi

← Back

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

12/June/2025 04:46:52 PM

जनपद : आगरा

तहसील : आगरा

ग्राम : ककुआ

ग्राम कोड : 124621

फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023)

खाता संख्या : 00610

श्रेणी : 1-क/भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।

खातेदार का विवरण	खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण	भूमि का विवरण	खातेदार का अंश	
खसरा/ गाटा संख्या (2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष (5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हेक्टर) (7) हिस्से में क्षेत्रफल(हेक्टर)	(8) क्षेत्रफल में(हेक्टर) (9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा)) के बाद ग्रस्त / विक्रय / भू-नक्शा / नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

610	1) हरचरन सिंह / गोर्धन सिंह / अलबतिया	1404 फ0	610 (1246210610000012)	1.4200	27.90
	2) उम्मेद सिंह / गोर्धन सिंह / अलबतिया				
	3) रमेश चन्द / गोर्धन सिंह / अलबतिया				
	4) रामवीर सिंह / गोर्धन सिंह / अलबतिया				
	5) शीशराम / गोर्धन सिंह / अलबतिया				
	6) रामश्री पत्नी / स्व0 गोर्धन सिंह / नि. अलबतिया				
	7) दिलावर सिंह / राजपाल सिंह / नि0 अलबतिया				
	8) सोनवीर सिंह / राजपाल सिंह / नि0 अलबतिया				
	9) लोकेश / राजपाल सिंह / नि0 अलबतिया				
	10) लक्ष्मी देवी पत्नी / राजपाल सिंह / नि0				

अलवतिया

कुल गाटे :

कुल क्षेत्रफल : (हेक्टेयर)

कुल भू-राजस्व : रुपये

नामान्तरण / परिवर्तन का
विवरण

खारिज किया गया

दर्ज किया गया

(10) न्यायालय का नाम /
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या /
अथवा आदेश संख्या /
आदेश का दिनांक /
नामान्तरण का आधार /
डिजिटल हस्ताक्षर नाम
(पदनाम) / डिजिटल
हस्ताक्षर दिनांक

(11) नाम/पिता-पति-
संरक्षक-प्रबंधक का
नाम / जाति कोड /
आधार नं० (अन्तिम चार
अंक) अथवा पैन नं० (6-
9 स्थान के अंक) / पता
/ जन्मतिथि (अवयस्क
हेतु)

(12) गाटे का खसरा नम्बर /
यूनीक कोड

(13) क्षेत्रफल(हेठो)

(14) नाम/पिता-
पति-
संरक्षक-
प्रबंधक का
नाम / जाति
कोड /
आधार नं०
(अन्तिम चार
अंक) अथवा
पैन नं० (6-9
स्थान के
अंक) / पता
/ जन्मतिथि
(अवयस्क
हेतु)

(15) गाटे का खसरा नम्बर /
यूनीक कोड

(16) क्षेत्रफल(हेठो)

1) ऑनलाइन उत्तराधिकार /
2024114600766000560
/ 02-05-2024 / वरासत /
(:-)

1.1) रामश्री पत्नी/स्व०
गोर्धन सिंह/नि. अलवतिया
(1246210610000012)

610

1.1) -

2.1) -

1.1) अनुप
चाहर / उमेश
(1246210610000012)
सिंह उर्फ
सिंह उर्फ

1.1) -

1.2) -

ASHOK KUMAR () / 01-			उम्मेद सिंह /	
06-2024	2.1) उम्मेद सिंह/गोर्धन सिंह/अलबतिया (:-)	3.1) -	अलबतिया	1.3) -
2) अन्य /		4.1) -	शाहगंज	
T202201010103777 /	3.1) हरचरन सिंह/ गोवर्धन सिंह/ककुआ	5.1) -	आगरा	1.4) -
16-10-2023 / वरासत /			1.2) दिलावर सिंह /	1.5) -
ASHOK KUMAR () / 10-	आगरा (:-)	6.1) -	राजपाल सिंह / अलबतिया	1.6) -
06-2024	4.1) सोनवीर सिंह/ राजपाल सिंह/अलबतिया	7.1) -	शाहगंज	1.7) -
3) अन्य /			आगरा	
T202501010102345 /	5.1) शीशराम/गोवर्धन सिंह/अलबतिया शाहगंज	8.1) -	1.3) रमेश चन्द /	1.8) -
08-03-2025 / विक्रय /			गोवर्धन सिंह	
ASHOK KUMAR () / 30-	आगरा (:-)	9.1) -	/ अलबतिया	1.9) -
03-2025		10.1) -	शाहगंज	
4) अन्य /	6.1) अनूप चाहर/उम्मेश सिंह उर्फ उम्मेद सिंह/		आगरा	2.1) -
T202501010102339 /	ग्राम ककुआ तह ० व जिला	11.1) -		
08-03-2025 / विक्रय /	आगरा हाल नि ० 01		1.4) रामवीर सिंह /	2.2) -
ASHOK KUMAR () / 30-	अलबतिया शाहगंज थाना		गोवर्धन सिंह	
03-2025	जगदीशपुरा आगरा (:-)		/ अलबतिया	3.1) -
5) अन्य /	7.1) रमेश चन्द/गोर्धन सिंह/अलबतिया (:-)		शाहगंज	4.1) -
T202501010102333 /			आगरा	
08-03-2025 / विक्रय /			1.5) लोकेश /	5.1) -
ASHOK KUMAR () / 30-			राजपाल सिंह	
03-2025			/ अलबतिया	6.1) -
6) अन्य /	8.1) दिलावर सिंह/ राजपाल सिंह/अलबतिया			
T202501010102331 /	शाहगंज आगरा (:-)			

08-03-2025 / विक्रय / ASHOK KUMAR () / 30- 03-2025	9.1) लक्ष्मी देवी पत्नी/ राजपाल सिंह/नि0 अलबतिया (:-)	शाहगंज आगरा	7.1) -
7) अन्य / T202501010102321 / 08-03-2025 / विक्रय / ASHOK KUMAR () / 01- 04-2025	10.1) श्रीमती जशोदा/ उमेश सिंह उर्फ उम्मेद सिंह/अलबतिया शाहगंज आगरा (:-)	1.6) श्रीमती जशोदा / उमेश सिंह उर्फ उम्मेद सिंह / अलबतिया शाहगंज आगरा	9.1) - 10.1) - 11.1) -
8) अन्य / T202501010102121 / 04-03-2025 / विक्रय / ASHOK KUMAR () / 01- 04-2025	11.1) लोकेश/राजपाल सिंह/नि0 अलबतिया (:-)	1.7) श्रीमती लक्ष्मी देवी / राजपाल सिंह / अलबतिया शाहगंज आगरा	
9) अन्य / T202501010102122 / 04-03-2025 / विक्रय / ASHOK KUMAR () / 01- 04-2025		1.8) शीशराम / गोवर्धन सिंह / अलबतिया शाहगंज आगरा	
10) अन्य / T202501010102123 / 04-03-2025 / विक्रय / ASHOK KUMAR () / 01- 04-2025		1.9) सोनवीर सिंह / राजपाल सिंह	

11) अन्य /
T202501010102124 /
04-03-2025 / विक्रय /
ASHOK KUMAR () / 01-
04-2025

/ अलबतिया
शाहगंज
आगरा

1.10)
हरचरन सिंह
/ गोवर्धन
सिंह /
ककुआ
आगरा

2.1) श्रीमती
जशोदा /
उम्मेश सिंह
उर्फ उम्मेद
सिंह / ग्राम
ककुआ तहो
व जिला
आगरा हाल
नि० 01
अलबतिया
शाहगंज थाना
जगदीशपुरा
आगरा

2.2) अनूप
चाहर /
उम्मेश सिंह
उर्फ उम्मेद

सिंह / ग्राम
कक्षुआ तह०
व जिला
आगरा हाल
नि० 01
अलवतिया
शाहगंज थाना
जगदीशपुरा
आगरा

3.1) आगरा
विकासस
प्राधिकरण
आगरा / - / -

4.1) आगरा
विकास
प्राधिकरण
आगरा / - / -

5.1) आगरा
विकास
प्राधिकरण
आगरा / - / -

6.1) आगरा
विकास
प्राधिकरण
आगरा / - / -

7.1) आगरा

विकास

प्राधिकरण

आगरा / - / -

8.1) आगरा

विकास

प्राधिकरण

आगरा / - / -

9.1) आगरा

विकास

प्राधिकरण

आगरा / - / -

10.1) आगरा

विकास

प्राधिकरण

आगरा / - / -

11.1) आगरा

विकास

प्राधिकरण

आगरा / - / -

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))

1) Indian Overseas Bank/10116/10-02-2024/798000.00/146007662024003110116/रामवीर सिंह(गोर्धन सिंह), रामवीर सिंह(गोर्धन सिंह)

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

अभ्युक्ति :

1) 1429फ व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक इण्डियन ओवरसीज बैंक शाखा रोहता आगरा के आदेश दि० 28-06-22 के अनुसार रामवीर सिंह पुत्र गोर्धन सिंह का खाता 798000/- में बन्धक किया जाता है ह०आर०के० 30-07-22/3561 (**डिजिटल हस्ताक्षर** : SHANTI SWAROOP (REVENUE INSPECTOR) / 02-08-2022)

2) 1431फ व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक इण्डियन ओवरसीज बैंक शाखा रौहता आगरा के आदेश दि० 07-10-24 के अनुसार रामवीरसिंह पुत्र गोर्धनसिंहका खाता भार मुक्त किया जाता है ह०आर०के० 6033 (**डिजिटल हस्ताक्षर** : ASHOK KUMAR (REVENUE INSPECTOR) / 07-10-2024)

3) 1431फ व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक आर्यावर्त बैंक शाखा कक्कुआ आगरा के आदेश दि० 11-04-24 के अनुसार रमेश चन्द पुत्र गोर्धन सिंह का खाता भार मुक्त किया जाता है ह०आर०के० 5782 (**डिजिटल हस्ताक्षर** : ASHOK KUMAR (REVENUE INSPECTOR) / 15-06-2024)

4) 1426फ व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त शाखा कक्कुआ आगरा के आदेश दि० 23-08-18 के अनुसार हरचरन सिंह पुत्र गोरधन सिंह का खाता 400000/- में बन्धक किया जाता है ह०आर०के० 14-09-18/4473 (**डिजिटल हस्ताक्षर** : MAN PAL SINGH (REVENUE INSPECTOR) / 18-11-2019)

5) 1423फः व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक इण्डियन ओवरसीज बैंक शाखा रौहता आगरा के आदेश दि० 28-03-16 के अनुसार रामवीर सिंह पुत्र गोर्धन सिंह का खाता 522000/- में बन्धक किया जाता है ह०आर०के० 30-03-16/क्र. 1880 (**डिजिटल हस्ताक्षर** : MAN PAL SINGH (REVENUE INSPECTOR) / 18-11-2019)

6) 1423फः व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त शाखा कक्कुआ आगरा के आदेश दि० 09-02-16 के अनुसार रमेशचन्द पुत्र गोर्धन सिंह का खाता 400000/- में बन्धक किया जाता है ह०आर०के० 16-04-16/क्र. 2045 (**डिजिटल हस्ताक्षर** : MAN PAL SINGH (REVENUE INSPECTOR) / 18-11-2019)

7) 1423फः व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त शाखा कक्कुआ आगरा के आदेश दि० 24-02-16 के अनुसार उम्मेद सिंह पुत्र गोर्धन सिंह का खाता 360000/- में बन्धक किया जाता है ह०आर०के० 16-04-16/क्र. 2041 (**डिजिटल हस्ताक्षर** : MAN PAL SINGH (REVENUE INSPECTOR) / 18-11-2019)

- 8) 1431फ व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक केनरा बैंक शाखा इटौरा आगरा के आदेश दि० 16-04-24 के अनुसार लोकेश सिंह पुत्र राजपाल सिंह का खाता भार मुक्त किया जाता है ह०आर०के० 5788 (**डिजिटल हस्ताक्षर** : ASHOK KUMAR (REVENUE INSPECTOR) / 20-06-2024)
- 9) 1431फ व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक आर्यवर्त बैंक शाखा ककुआ आगरा के आदेश दि० 20-04-24 के अनुसार हरचरन सिंह पुत्र गोर्धन सिंह का खाता भार मुक्त किया जाता है ह०आर०के० 5808 (**डिजिटल हस्ताक्षर** : ASHOK KUMAR (REVENUE INSPECTOR) / 26-06-2024)
- 10) 1431फ व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक केनरा बैंक शाखा इटौरा आगरा के आदेश दि० 16-04-24 के अनुसार दिलावर सिंह पुत्र राजपाल सिंह का खाता भार मुक्त किया जाता है ह०आर०के० 5789 (**डिजिटल हस्ताक्षर** : ASHOK KUMAR (REVENUE INSPECTOR) / 26-06-2024)
- 11) 1431फ व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक केनरा बैंक शाखा इटौरा आगरा के आदेश दि० 16-04-24 के अनुसार श्रीमती लक्ष्मी देवी पली राजपाल सिंह का खाता भार मुक्त किया जाता है ह०आर०के० 5790 (**डिजिटल हस्ताक्षर** : ASHOK KUMAR (REVENUE INSPECTOR) / 26-06-2024)
- 12) 1431फ व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक केनरा बैंक शाखा इटौरा आगरा के आदेश दि० 16-04-24 के अनुसार सोनवीर सिंह पुत्र राजपाल सिंह का खाता भार मुक्त किया जाता है ह०आर०के० 5791 (**डिजिटल हस्ताक्षर** : ASHOK KUMAR (REVENUE INSPECTOR) / 26-06-2024)
- 13) 1428फ व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक केनरा बैंक शाखा इटौरा आगरा के आदेश दि० 25-11-20 के अनुसार दिलावर सिंह पुत्र राजपाल सिंह का खाता 150000/- में बन्धक किया जाता है ह०आर०के० 26-11-20/1440 (**डिजिटल हस्ताक्षर** : MAN PAL SINGH (REVENUE INSPECTOR) / 28-11-2020)
- 14) 1428फ व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक केनरा बैंक शाखा इटौरा आगरा के आदेश दि० 25-11-20 के अनुसार लोकेश सिंह पुत्र राजपाल सिंह का खाता 150000/- में बन्धक किया जाता है ह०आर०के० 26-11-20/1439 (**डिजिटल हस्ताक्षर** : MAN PAL SINGH (REVENUE INSPECTOR) / 28-11-2020)
- 15) 1428फ व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक केनरा बैंक शाखा इटौरा आगरा के आदेश दि० 25-11-20 के अनुसार लक्ष्मी देवी पली राजपाल सिंह का खाता 150000/- में बन्धक किया जाता है ह०आर०के० 26-11-20/1438 (**डिजिटल हस्ताक्षर** : MAN PAL SINGH (REVENUE INSPECTOR) / 28-11-2020)
- 16) 1428फ व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक केनरा बैंक शाखा इटौरा आगरा के आदेश दि० 25-11-20 के अनुसार सोनवीर सिंह पुत्र राजपाल सिंह का खाता 150000/- में बन्धक किया जाता है ह०आर०के० 26-11-20/1437 (**डिजिटल हस्ताक्षर** : MAN PAL SINGH (REVENUE INSPECTOR) / 28-11-2020)
- 17) 1430फ व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक आर्यवर्त बैंक शाखा ककुआ आगरा के आदेश दि० 15-02-23 के अनुसार उममेदसिंह पुत्र गोवर्धन सिंह का खाता भार मुक्त किया जाता है ह०आर०के० 5380 (**डिजिटल हस्ताक्षर** : REWATI LAL (RI OFFICE) / 31-10-2023)

पूर्व आदेशों का विवरण :

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के बाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

Disclaimer: उक्त ऑँकडे मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

अप्रमाणित पांच



न्यायालय :- तहसीलदार

मण्डल :आगरा , जनपद :आगरा , तहसील :आगरा

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010102121

वाद संख्या:- 2121/2025

आगरा विकास प्राधिकरण बनाम दिलावर सिंह

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अन्तर्गत धारा:- 34

अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 04/03/2025

वाद सं0 ज202501010102121/2025 अन्तर्गत धारा 34 आर0सी0

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम दिलावर सिंह

मौजा-ककुआ

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्ट्रार के आर0सी0 प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा ककुआ के गाटा संख्या 610 रकवा 1.4200हे0 में से 1/24 भाग यानि रकवा 0.05916666हे0 का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने दिलावर सिंह से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, शपथपत्र एवं लेखपाल/राजनीकार्यालय की आख्या सहित नकल खतौनी दाखिल हुई है। विक्रेता ने गाटा संख्या 610 रकवा 1.4200हे0 में से 1/24 भाग यानि रकवा 0.05916666हे0 का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा ककुआ के खाता सं0 00610 के गाटा संख्या 610 रकवा 1.4200हे0 में से 1/24 भाग यानि रकवा 0.05916666हे0 लगान 60ख अनुसार से विक्रेता दिलावर सिंह पुत्र स्व0 राजपाल सिंह निवासी अलबतिया ग्राम ककुआ व तह0 जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास प्राधिकरण



आगरा का नाम बतौर सं0भू० द्वारा बैनामा प्रतिफल 3551003/-रु० आवेदन संख्या-202500766002053 दिनांक 20.01.2025 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

तहसीलदार (सदर)

आगरा।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार

मण्डल :आगरा , जनपद :आगरा , तहसील :आगरा

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010102122

वाद संख्या:- 2122/2025

आगरा विकास प्राधिकरण बनाम लक्ष्मी देवी

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अन्तर्गत धारा:- 34

अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 04/03/2025

वाद सं0 ज202501010102122/2025 अन्तर्गत धारा 34 आरोसी0

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम लक्ष्मी देवी

मौजा-ककुआ

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्ट्रार के आरोसी0 प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा ककुआ के गाटा संख्या 610 रकवा 1.4200हे0 में से 1/24 भाग यानि रकवा 0.05916666हे0 का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने लक्ष्मी देवी से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, शपथपत्र एवं लेखपाल/राजनीकार्यालय की आख्या सहित नकल खतौनी दाखिल हुई है। विक्रेता ने गाटा संख्या 610 रकवा 1.4200हे0 में से 1/24 भाग यानि रकवा 0.05916666हे0 का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा ककुआ के खाता सं0 00610 के गाटा संख्या 610 रकवा 1.4200हे0 में से 1/24 भाग यानि रकवा 0.05916666हे0 लगान 60ख अनुसार से विक्रेता लक्ष्मी देवी पर्नी स्व0 राजपाल सिंह निवासी अलबतिया ग्राम ककुआ व तह0 जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास प्राधिकरण



आगरा का नाम बतौर सं0भू० द्वारा बैनामा प्रतिफल 3551003/-रु० आवेदन संख्या-202500766002051 दिनांक 20.01.2025 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

तहसीलदार (सदर)

आगरा।

Disclaimer:

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार

मण्डल :आगरा , जनपद :आगरा , तहसील :आगरा

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010102123

वाद संख्या:- 2123/2025

आगरा विकास प्राधिकरण बनाम जशोदा

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अन्तर्गत धारा:- 34

अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 04/03/2025

वाद सं0 ज202501010102123/2025 अन्तर्गत धारा 34 आर0सी0

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम जशोदा

मौजा-ककुआ

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्ट्रार के आर0सी0 प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा ककुआ के गाटा संख्या 610 रकवा 1.4200हे0 में से 1/12 भाग यानि रकवा 0.1183333हे0 का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने जशोदा से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, शपथपत्र एवं लेखपाल/राजनीकार्यालय की आख्या सहित नकल खतौनी दाखिल हुई है। विक्रेता ने गाटा संख्या 610 रकवा 1.4200हे0 में से 1/12 भाग यानि रकवा 0.1183333हे0 का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा ककुआ के खाता सं0 00610 के गाटा संख्या 610 रकवा 1.4200हे0 में से 1/12 भाग यानि रकवा 0.1183333हे0 लगान 60ख अनुसार से विक्रेता जशोदा पर्ली उम्मेद सिंह उर्फ उमेश सिंह निवासी अलबतिया ग्राम ककुआ व तह0 जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास



प्राधिकरण आगरा का नाम बतौर सं0भू द्वारा बैनामा प्रतिफल 7102006/-रू0 आवेदन संख्या-202500766002052 दिनांक 20.01.2025 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

तहसीलदार (सदर)

आगरा।

Disclaimer:

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार

मण्डल :आगरा , जनपद :आगरा , तहसील :आगरा

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010102124

वाद संख्या:- 2124/2025

आगरा विकास प्राधिकरण बनाम लोकेश

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अन्तर्गत धारा:- 34

अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 04/03/2025

वाद सं0 ज202501010102124/2025 अन्तर्गत धारा 34 आर0सी0

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम लोकेश

मौजा-ककुआ

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्ट्रार के आर0सी0 प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा ककुआ के गाटा संख्या 610 रकवा 1.4200हे0 में से 1/24 भाग यानि रकवा 0.05916666हे0 का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने लोकेश से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, नकल खतौनी पत्रावली पर उपलब्ध है। दाखिल हुई है। मौजा ककुआ के गाटा संख्या 610 रकवा 1.4200हे0 में से 1/24 भाग यानि रकवा 0.05916666हे0 का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा ककुआ के खाता सं0 00610 के गाटा संख्या 610 रकवा 1.4200हे0 में से 1/24 भाग यानि रकवा 0.05916666हे0 लगान 60ख अनुसार से विक्रेता लोकेश पुत्र स्व0 राजपाल सिंह निवासी ग्राम ककुआ व तह0 जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास प्राधिकरण आगरा का नाम



बतौर संभूद्ध द्वारा बैनामा प्रतिफल 3551003/-रु० आवेदन संख्या-202500766002060 दिनांक 20.01.2025 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

तहसीलदार (सदर)

आगरा।

Disclaimer:

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार

मण्डल :आगरा , जनपद :आगरा , तहसील :आगरा

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010102321

वाद संख्या:- 2321/2025

आगरा विकास प्राधिकरण बनाम रमेश चन्द्र

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अन्तर्गत धारा:- 34

अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 08/03/2025

वाद सं0 ज202501010102321/2025 अन्तर्गत धारा 34 आरोसी0

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम रमेश चन्द्र

मौजा-ककुआ

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्ट्रार के आरोसी0 प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा ककुआ के गाटा संख्या 610 रकवा 1.4200हे0 में से 1/6 भाग यानि रकवा 0.2366666हे0 का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने रमेश चन्द्र से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, शपथपत्र एवं लेखपाल/राजनीकार्यालय की आख्या सहित नकल खतौनी दाखिल हुई है। विक्रेता ने गाटा संख्या 610 रकवा 1.4200हे0 में से 1/6 भाग यानि रकवा 0.2366666हे0 का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा ककुआ के खाता सं0 00610 के गाटा संख्या 610 रकवा 1.4200हे0 में से 1/6 भाग यानि रकवा 0.2366666हे0 लगान 60ख अनुसार से विक्रेता रमेश चन्द्र पुत्र गोर्धन सिंह उर्फ गोर्धन निवासी अलबतिया ग्राम ककुआ व तह0 जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास प्राधिकरण



आगरा का नाम बतौर सं0भू० द्वारा बैनामा प्रतिफल 14204011/-रु० आवेदन संख्या-202500766003265 दिनांक 21.01.2025के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

तहसीलदार (सदर)

आगरा।

Disclaimer:

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार

मण्डल :आगरा , जनपद :आगरा , तहसील :आगरा

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010102331

वाद संख्या:- 2331/2025

आगरा विकास प्राधिकरण बनाम अनूप चाहर

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34

अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 08/03/2025

वाद सं0 ज202501010102331/2025 अन्तर्गत धारा 34 आरोसी0

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम अनूप चाहर

मौजा-ककुआ

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्ट्रार के आरोसी0 प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उपरोक्त राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा ककुआ के गाटा संख्या 610 रकवा 1.4200हे0 में से 1/12 भाग यानि रकवा 0.11833333हे0 का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने अनूप चाहर से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, शपथपत्र एवं लेखपाल/राजनीकार्यालय की आख्या सहित नकल खतौनी दाखिल हुई है। विक्रेता ने गाटा संख्या 610 रकवा 1.4200हे0 में से 1/12 भाग यानि रकवा 0.11833333हे0 का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा ककुआ के खाता सं0 00610 के गाटा संख्या 610 रकवा 1.4200हे0 में से 1/12 भाग यानि रकवा 0.11833333हे0 लगान 60ख अनुसार से विक्रेता सुरेन्द्र सिंह पुत्र राजन सिंह निवासी ग्राम ककुआ व तह0 जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास प्राधिकरण आगरा का नाम



बतौर संभूद्ध द्वारा बैनामा प्रतिफल 7102005/-रु० आवेदन संख्या-202400766002059 दिनांक 20.01.2025 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

तहसीलदार (सदर)

आगरा।

Disclaimer:

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार

मण्डल :आगरा , जनपद :आगरा , तहसील :आगरा

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010102333

वाद संख्या:- 2333/2025

आगरा विकास प्राधिकरण बनाम शीशराम

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अन्तर्गत धारा:- 34

अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 08/03/2025

वाद सं0 ज202501010102333/2025 अन्तर्गत धारा 34 आरोसी0

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम शीशराम

मौजा-ककुआ

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्ट्रार के आरोसी0 प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उपरोक्त राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा ककुआ के गाटा संख्या 610 रकवा 1.4200हे0 में से 1/6 भाग यानि रकवा 0.2366666हे0 का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने शीशराम से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, शपथपत्र एवं लेखपाल/रानीकार्यालय की आख्या सहित नकल खतौनी दाखिल हुई है। विक्रेता ने गाटा संख्या 610 रकवा 1.4200हे0 में से 1/6 भाग यानि रकवा 0.2366666हे0 का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा ककुआ के खाता सं0 00610 के गाटा संख्या 610 रकवा 1.4200हे0 में से 1/6 भाग यानि रकवा 0.2366666हे0 लगान 60ख अनुसार से विक्रेता शीशराम पुत्र गोर्धन सिंह उर्फ गोवर्धन निवासी अलबतिया ग्राम ककुआ व तह0 जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास



प्राधिकरण आगरा का नाम बतौर सं0भू द्वारा बैनामा प्रतिफल 14204011/-रु0 आवेदन संख्या-202500766003292 दिनांक 21.01.2025 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

तहसीलदार (सदर)

आगरा।

Disclaimer:

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार

मण्डल :आगरा , जनपद :आगरा , तहसील :आगरा

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010102339

वाद संख्या:- 2339/2025

आगरा विकास प्राधिकरण बनाम सोनवीर सिंह

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अन्तर्गत धारा:- 34

अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 08/03/2025

वाद सं0 ज202501010102339/2025 अन्तर्गत धारा 34 आर0सी0

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम सोनवीर सिंह

मौजा-ककुआ

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्ट्रार के आर0सी0 प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा ककुआ के गाटा संख्या 610 रकवा 1.4200हे0 में से 1/24 भाग यानि रकवा 0.05916666हे0 का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने सोनवीर सिंह से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, शपथपत्र एवं लेखपाल/राजनीकार्यालय की आख्या सहित नकल खतौनी दाखिल हुई है। विक्रेता ने गाटा संख्या 610 रकवा 1.4200हे0 में से 1/24 भाग यानि रकवा 0.05916666हे0 का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा ककुआ के खाता सं0 00610 के गाटा संख्या 610 रकवा 1.4200हे0 में से 1/24 भाग यानि रकवा 0.05916666हे0 लगान 60ख अनुसार से विक्रेता सोनवीर सिंह पुत्र स्व0 राजपाल सिंह निवासी अलबतिया ग्राम ककुआ व तह0 जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास



प्राधिकरण आगरा का नाम बतौर सं0भू द्वारा बैनामा प्रतिफल 3551003/-रु0 आवेदन संख्या-202500766002071 दिनांक 21.01.2025 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

तहसीलदार (सदर)

आगरा।

Disclaimer:

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार

मण्डल :आगरा , जनपद :आगरा , तहसील :आगरा

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010102345

वाद संख्या:- 2345/2025

आगरा विकास प्राधिकरण बनाम हरचरन सिंह

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अन्तर्गत धारा:- 34

अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 08/03/2025

वाद सं0 ज202501010102345/2025 अन्तर्गत धारा 34 आरोसी0

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम हरचरन सिंह

मौजा-ककुआ

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्ट्रार के आरोसी0 प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उपरोक्त राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा ककुआ के गाटा संख्या 610 रकवा 1.4200हे0 में से 1/6 भाग यानि रकवा 0.2366666हे0 का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने हरचरन सिंह से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, नकल खतौनी पत्रावली पर उपलब्ध है। दाखिल हुई है। मौजा गाटा संख्या 610 रकवा 1.4200हे0 में से 1/6 भाग यानि रकवा 0.2366666हे0 का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा ककुआ के खाता सं0 00610 के गाटा संख्या 610 रकवा 1.4200हे0 में से 1/6 भाग यानि रकवा 0.2366666हे0 लगान 60ख अनुसार से विक्रेता हरचरन सिंह पुत्र गोर्धन सिंह उर्फ गोर्धन निवासी अलबतिया ग्राम ककुआ व तह0 जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास



प्राधिकरण आगरा का नाम बतौर सं0भू द्वारा बैनामा प्रतिफल 14204011/-रु0 आवेदन संख्या-202500766002062 दिनांक 21.01.2025 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

तहसीलदार (सदर)

आगरा।

Disclaimer:

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"